न्यायालय संभागीय आयुक्त, कोटा सभांग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री कैलाश चन्द मीना आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)
प्रकरण संख्याः 38/2020/अपील/एल0आर0एक्ट/बूंदी
दायरा दिनांक 7.8.2020
किस्म अपीलः धारा 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

कैलाश आत्मज सुवालाल जाति मीणा निवासी ग्राम गाडरिया तहसील नैंनवा जिला बूंदी।
..... अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार दई जिला बूंदी (राज0)।
.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत अभिभाषक अपीलार्थी
श्री सैफुद्धीन अंसारी राजकीय अभि0 रेस्पोडेन्ट

:: निर्णय ::

दिनांक 22.2.2021

1 अपीलार्थी द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम मे न्यायालय अति0 जिला कलक्टर बूंदी द्वारा प्रकरण सं. 25/अपील/2012 धारा 75 एलआरएक्ट बउनवान कैलाश बनाम राज0 सरकार मे पारित निर्णय दि0 30.4.2012 के विरूद्ध न्याया0 हाजा मे पेश की गई।

2 अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार से है कि अपीलांट द्वारा अपील न्यायालय हाजा मे इस आशय की प्रस्तुत की गई कि हरदो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम बसोली की आराजी ख0 नं0 43 रकबा 3 बीघा ख0 नं0 44 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा श्रवण, छोटू पिसरान रामदेव जाति बैरवा निवासी ग्राम बसोली को अतिक्रमी मानकर उन्हे उक्त आराजी से बेदखल करने का तथा पेनाल्टी वसूल करने आदेश प्रदान किया गया है। परीक्षण न्यायालय ने बिना पूर्ण कब्जे के संबध मे जांच किये ही श्रवण छोटू का कब्जा मानकर निर्णय जेरअपील पारित किया गया है जो हर प्रकार से काबिल निरस्तनीय है। विवादित आराजी पर अपीलांट का काफी पुराना कब्जा काश्त है वही उक्त भूमि को वर्तमान मे भी काश्त कर रहा है। परीक्षण न्यायालय को अपीलांट को धारा 91 एलआरएक्ट के तहत नोटिस दिया जाकर सुनवाई का मौका दिया जाकर निर्णय करना चाहिये था ऐसा नही करके परीक्षण न्यायालय ने त्रुटि की है जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने जेरअपील निर्णय से बहाल रखने मे त्रुटि की है क्योंकि उक्त भूमि सरकारी भूमि है जिसका उक्त भूमि पर कब्जा काश्त होती है उसी के विरूद्ध धारा 91 एलआरएक्ट की कार्यवाही की जाती है लेकिन परीक्षण न्यायालय ने ऐसा नही किया अधीनस्थ न्यायालय ने प्रभावी पक्षकार नही होना मानकर प्रस्तुत अपील को खारिज करने मे त्रुटि की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय हरदो अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किया जावे तथा पुनः जांच कर निस्तारण करने हेतु परीक्षण न्यायालय को रिमांड किया जावे।

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

3 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

4 अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस मे अपील मीमों मे कहे गये कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि परीक्षण न्यायालय ने श्रवण, छोटू पिसरान रामदेव जाति बैरवा निवासी ग्राम बसोली को अतिक्रमी मानकर उन्हे उक्त आराजी से बेदखल करने का तथा पेनाल्टी वसूल करने का आदेश प्रदान करने मे त्रुटि की है। परीक्षण न्यायालय ने बिना पूर्ण कब्जे के संबध मे जांच किये ही श्रवण छोटू का कब्जा मानकर निर्णय जेरअपील पारित किया गया है जो हर प्रकार से काबिल निरस्तनीय है। बहस मे आगे बताया कि विवादित आराजी पर अपीलांट का काफी पुराना कब्जा काश्त है वही उक्त भूमि को वर्तमान मे भी काश्त कर रहा है। ऐसी स्थिति मे परीक्षण न्यायालय को अपीलांट को धारा 91 एलआरएक्ट के तहत नोटिस दिया जाकर सुनवाई का मौका दिया जाकर निर्णय करना चाहिये था ऐसा नही करके परीक्षण न्यायालय ने त्रुटि की है तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलांट को प्रभावी पक्षकार नही होना मानकर अपील खारिज करने मे त्रुटि की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय हरदो अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किया जावे तथा पुनः जांच कर निस्तारण करने हेतु परीक्षण न्यायालय को रिमांड किया जावे।

5 विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि परीक्षण न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण जांच कर श्रवण छोटू पिसरान रामदेव जाति बैरवा का अतिक्रमण प्रमाणित पाये जाने से उनके विरूद्ध विधिक प्रकिया अपनाते हुये निर्णय पारित किया है जिसमे कोई विधिक त्रुटि नही है। अतः अपील खारिज की जावे।

6 हमने पत्रवली का आध्योपांत अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से प्रकट होता है कि श्रवण छोटू पिसरान रामदेव ने विवादित भूमि पर संम्वत 2068 मे अतिचार कर काश्त की है। परीक्षण न्यायालय द्वारा रिपोर्ट पटवारी तथा सम्पूर्ण साक्ष्य पत्रावली पर लेते हुये निर्णय पारित किया है। प्रथम अपीलेट न्यायालय ने अपीलांट व्यथित पक्षकार नही होने तथा साक्ष्य/सबूत पेश करने मे विफल रहने से अपील जेरअपील निर्णय दिनांक 30.4.2012 से खारिज की है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रकट नही होता है। प्रश्नगत अपील प्रकरण मे भी अपीलांट द्वारा ऐसे कोई आधार अभिलेख, साक्ष्य सबूत पेश नही किये है जिससे उसका व्यथित पक्षकार होना प्रकट होता हो। ऐसी स्थिति मे परीक्षण न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.12.2011 एवं प्रथम अपीलेट न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.4.2012 मे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुजाइंश नही है। परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

7 *निर्णय आज दिनांक 22.2..2021 को मेरे द्वारा लिखवाया/टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षरित न्यायालय की मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।*

(कैलाश चन्द मीना)
संभागीय आयुक्त
कोटा